भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 248

उत्तर देने की तारीख- 05/02/2024

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना

248. श्री राहुल कस्वां:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीम क्षेत्रों में लोगों ने वन भूमि का अतिक्रमण किया है और व्यक्तिगत/सरकारी संसाधनों से इस पर मकान आदि बनाए हैं और 50 वर्षों से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं;

(ख) क्या ऐसी भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए नोटिस दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार और ग्राम-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): जैसा कि एमओईएफसीसी द्वारा सूचित किया गया है, 'भूमि' राज्य सरकार का विषय है। वन क्षेत्रों और उनकी कानूनी सीमाओं का निर्धारण और रखरखाव संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि अभिलेखों का भंडार होने के नाते, राजपत्र अधिसूचनाओं, राज्य और केंद्रीय अधिनियमों के तहत प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय के संबंधित निर्णयों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, भूमि के किसी भी टुकड़े की स्थिति निर्धारित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की

है। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इस मंत्रालय के स्तर पर ऐसे निष्कासनों (बेदखली) का डेटा नहीं रखा जाता है।

एफआरए और उसके तहत बने नियम अधिकार प्रदान करते हैं, जिन्हें राज्य सरकार अधिनियम के अनुसार लागू करती है। अधिनियम और नियमों के अनुसार पात्र पाए गए सभी को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है और शेष पर कार्रवाई की जाती है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) धारा 4(5) में निहित प्रावधानों के माध्यम से वन निवासियों को अनुचित बेदखली से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, अनुसूची-V में भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के खिलाफ सुरक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसके राज्यपाल को जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को निषेध करने या प्रतिबंधित करने और ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करने का अधिकार है।

(घ) से (च): एफआरए की धारा 3(1)(ज) सभी वन गांवों, पुरानी बस्तियों, सर्वेक्षण न किए गए गांवों और जंगलों में मौजूद अन्य गांवों चाहे वे दर्ज हों, अधिसूचित हों या नहीं, के निपटान और राजस्व गांवों में रूपांतरण के अधिकारों की गारंटी देती है। एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। तदनुसार, राज्य सरकारों को समय-समय पर उक्त नियमों के अनुसार वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए राजी किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

*****.